[भारत के राजपत्र (असाधारण) के, भाग 2,खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 28/2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 02 सितंबर, 2019

सा.का.नि.------(अ), - केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 413(अ), दिनांक 8 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 57/2000-सीमा शुल्क दिनांक 8 मई, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

2. उक्त अधिसूचना में,

(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों ''सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के क्रमश: शीर्ष सं. 71.06, 71.08 और 71.10 के अंतर्गत आने वाली चांदी, स्वर्ण और प्लेटिनम को जब उनका" के साथ शुरु तथा शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों "के अधीन भारत मे निर्यात किया जाता है तो उसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क और धारा 3 की उप-धारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है" के साथ समाप्त होने भाग के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

''सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के क्रमश: शीर्ष सं. 71.06, 71.08 और 71.10 के अंतर्गत आने वाली निचली सारणीं के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णित की चांदी, स्वर्ण और प्लेटिनम का जब भारत में आयातित होता है तो, उक्त सारणीं के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट योजना के अधीन, उक्त सारणीं के स्तंभ (4) में एवं तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के बराबर, और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है:-

सारणीं

क्र.सं.	विदेश व्यापार निति के अधीन योजना	माल का विवरण	शुल्क की राशी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 4 के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.46 में निर्दिष्ट ''प्रदर्शनियों/निर्यात संवर्धन पर्यटन के माध्यम से ब्रांड वाले आभूषणों के निर्यात'' के लिए स्कीम के अधीन पुनर्पूर्ति के रूप में	(क) स्वर्ण	11.85%
		(ख) चांदी	11.00%
		(ग) प्लेटिनम	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क
2.	प्रक्रिया पुस्तिका, के अध्याय 4 के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.41 में निर्दिष्ट ''नामित अभिकरणों द्वारा प्रदाय के विरूद्ध निर्यात'' के लिए स्कीम	स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर

			उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क

(ख) तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

(फा.सं.डीजीईपी/जीएंडजे/05/2017)

आनंद कुमार झा,
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :- प्रधान अधिसूचना सं. 57/2000-सीमा शुल्क दिनांक 8 मई, 2000 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 8 मई, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित हुआ था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं.78/2018-सीमा शुल्क दिनांक 29 नवंबर, 2018 जिसे सा.का.नि. सं. 1154 दिनांक 30 नवंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।